UPMP010006262026

न्यायालय ADJ I, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Sri Achchhe Lal Saroj), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) –**

UP06134

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 362/2026

बलराम उर्फ बल्ला पुत्र श्री राम रतन निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली जिला मैनपुरी।

..... आवेदक/अभियुक

बनाम

उ०प्र० राज्य .....विपक्षी/वादी

दिनांक– 24–03–2026

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त बलराम उर्फ बल्ला की ओर से अपराध सं० 73/2026 अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना कोतवाली जिला मैनपुरी के अपराध में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उप०निरी० दिनेश कुमार द्वारा दिनांक 04.02.2026 को थाना हाजा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि, "दिनांक 04.02.2026 को मैं उपनिरीक्षक दिनेश कुमार मय हमराह का० 562 मनोज कुमार, का० 460 तोशीद आलम के थाना हाजा से बहवाले रपट नं० 25 समय 10.58 बजे रवाना होकर देखरेख शान्ति व्यवस्था हेतु व संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिग में बिछिया तिराहे पर मामूर थे तभी मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ चरस को बेचने के फिराक में चित्रगुप्त डिग्री कालेज के पीछे झाड़ियो के पास मैदान में खड़ा है। अगर जल्दी की जाये तो मय मादक पदार्थ पकड़ा जा सकता है। सूचना पर विश्वास करते हुए मुझ उपनिरीक्षक द्वारा कोबरा 2 के कर्मचारीगण हे०का० 491 ऋषिपाल व का० 429 रंजीत चौधरी को जरिये दूरभाष तलब किया गया तो कुछ समय पश्चात मौके पर आये जिन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराया गया फिर रास्ते में आ जा रहे जनता के लोगों को मकसद बताकर गवाही गवाहान हेतु पूछा गया तो भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नही हुआ। बमजबूरी हम पुलिस वालों ने एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास जुर्म से संबंधित कोई वस्तु नही है फिर हम पुलिस वालो मय मुखबिर उसके बताये स्थान चित्रगुप्त डिग्री कालेज के मैदान की तरफ चल दिये जैसे ही मैदान से करीब 60 कदम पहले तो मुखबिर ने रूककर पेड की आड़ में इशारा करके बताया कि जो व्यक्ति सामने झाडियो के पास नीली जैकेट व नीली जीन्स पहने खड़ा है वही व्यक्ति है जिसके पास मादक पदार्थ है और मुखबिर चला गया। फिर हम पुलिस वालो ने एक बारगी दबिश देकर खड़े व्यक्ति को मैदान में ही पकड़ लिया।

पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो बताया कि मेरा नाम बलराम उर्फ बल्ला पुत्र रामरतन निवासी ग्राम हरचन्द्रपुर थाना कोतवाली मैनपुरी बताया और बताया कि मेरे पास जैकिट की जेब मे पालीथिन में मादक पदार्थ चरस है इसी को बेचने आया तो आपने पकड़ लिया। इस पर मुझ उपनिरीक्षक ने पकड़े गये व्यक्ति को बताया कि आपके बताये अनुसार आपके पास मादक पदार्थ है तो आप अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट व राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे सकते है ये आपका कानूनी अधिकार है इस पर पकड़े गये व्यक्ति ने किसी अधिकारी को बुलाने के लिये कहा तो मुझ उपनिरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष श्री संतोष कुमार क्षेत्राधिकारी नगर महोदय को सूचना से अवगत कराया कि एक पकड़ा गया व्यक्ति है जो अपने पास अवैध मादक पदार्थ चरस बता रहा है। हम चित्रगुप्त डिग्री कालेज के मैदान में है। एक बार आप मौके पर आ जाये। सूचना के कुछ समय बाद श्री संतोष कुमार क्षेत्राधिकारी महोदय मौके पर आये जिनके समक्ष जामा तलाशी ली गयी तो पकड़े गये व्यक्ति बलराम राठौर उपरोक्त की जैकेट की बायी जेब से काली पालीथिन में बंधा हुआ जिस पर टेप चढी है। जिसे खोलकर देखा स्वंय सूंघा गया व हमराही कर्मचारीगण को सूंघाया गया तो मादक पदार्थ चरस की गन्ध आ रही है और पेन्ट की दाहिनी जेब से 100–100 के दो नोट कुल दो सौ रूपये बरामद हुए मादक पदार्थ चरस को तौलने के लिये का० 429 रंजीत चौधरी को भेजकर इलेक्ट्रानिक तराजू मंगाकर तौला गया तो कुल वजन करीब 530 ग्राम पाया। पकडे गये व्यक्ति बलराम राठौर से अवैध मादक पदार्थ चरस बेचने व रखने का लाईसेंस तलब किया तो दिखाने में कासिर रहा। उसको जुर्म धारा 8/20 एऩ.डी.पी.एस. एक्ट से अवगत कराते हुए समय करीब 13.25 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया था। बरामद चरस को पालीथिन सहित एक पारदर्शी सफेद डिब्बे में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर परीक्षण हेतु निकाला था। दौरान बरामदगी एवं गिरफ्तारी मा० सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश व निर्देश का पालन किया गया था। दौरान गिरफ्तारी व बरादमगी मौके पर जनता के लोग आ जा रहे थे उनको मकसद बताकर गवाही हेतु कहा गया तो कोई भी व्यक्ति भलाई बुराई के कारण गवाही के लिये तैयार नही हुआ। गिरफ्तारी मीमो मौके पर तैयार किया गया। फर्द मुझ उपनिरीक्षक द्वारा बोल बोलकर का० 562 मनोज से लिखवाकर हमराही कर्मचारीगण को पढ़कर सुनाकर उस पर उनके हस्ताक्षर अंकित करवाये थे। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना थाने पर पहुँचकर उसके परिजनों को अकब से दी जायेगी।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वह निर्दोष है। उसने तथाकथित कोई अपराध नही किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथित घटना का कोई भी स्वतन्त्र साक्षी नही दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की कहानी एकदम मिथ्या एवं बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/ अभियुक्त के पास किसी भी कथित चरस खरीदने वाले व्यक्ति को खड़ा होना अथवा आते जाते हुए भी नही देखा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/ अभियुक्त को समय करीब 12.35 बजे हिरासत में लिया गया जबकि वादी मुकदमा अपने पुलिस हमराहयान के साथ समय करीब 10.58 बजे थाना हाजा से रवाना होता है औऱ घटनास्थल से थाना हाजा की दूरी मात्र 4 किलोमीटर बतायी गयी है। इस प्रकार डेढ घंटे से अधिक का समय हिरासत में लेने तक का होता है। कहानी मनगढन्त एवं बनावटी तथ्यों पर आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ पर कथित घटना का समय 13.15 बजे अंकित है तथा रिपोर्ट तहरीर में प्रार्थी/

अभियुक्त को समय 12.35 बजे हिरासत में लिया जाता है तथा वादी मुकदमा समय 10.58 बजे थाना हाजा से अपने पुलिस हमराहयान के साथ रवाना होता है जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित है। इस प्रकार कथित घटना का समय प्रार्थी/ अभियुक्त को हिरासत में लिये जाने का समय 12.35 बजे की होना चाहिए। स्पष्ट है कि मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथित समय 13.15 बजे यानी दिन 01.15 बजे की बतायी गयी है। उसके बावजूद भी प्रार्थी/ अभियुक्त की जामा तलाशी किसी भी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नही ली गयी है अर्थात धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्राविधानों का पालन नही किया गया है। बरामद माल चरस का वजन करने के लिये का० 429 रंजीत चौधरी इलेक्ट्रानिक तराजू लेकर आता है परन्तु किस दुकानदार या किस व्यक्ति से लेकर आता है इसका कोई उल्लेख नही किया गया है। कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 03.02.2026 को न्यायालय स्पेशल जज (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) मैनपुरी में चल रहे मुकदमा में वारंट निरस्त कराकर घऱ गया और अपनी चचेरी बहिन की लगुन में जाना था तभी समय करीब 07.30 बजे शाम को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा प्रार्थी/ अभियुक्त को घर से पकड़ कर पुलिस चौकी करहल गेट पर लायी उसके बाद थाना कोतवाली पर लाकर मुकदमा लगा दिया गया। प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा दिनांक 04.02.2026 को रिमाण्ड न्यायाधीश महोदय के समक्ष एक प्रार्थऩा पत्र दिया था कि प्रार्थी/ अभियुक्त को थाना कोतवलाी की पुलिस दिनांक 03.02.2026 को समय करीब 07.30 बेज शाम घऱ से पकड़ कर उपरोक्त केस में झूंठा फंसा दिया। प्रार्थी/ अभियुक्त के पकड़े जाने के बाद दौरान तलाशी मौके पर कोई वीडियोग्राफी नही बनायी गयी जिससे साबित हो सके कि कथित वस्तु बरामद हुई है या नही। प्रार्थी/ अभियुक्त का घर/गांव कथित घटनास्थल से करीब 7 किलोमीटर दूर है। इस घटना के संबंध में कोई मोटरसाइकिल या साइकिल आदि का होना जरूरी है क्योंकि इतनी दूरी पर कोई व्यक्ति कैसे आयेगा जायेगा। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अपनी कारगुजारी दिखाने के लिये प्रार्थी/ अभियुक्त को उपरोक्त केस में झूंठा फंसा दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अत: उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त के पास 530 ग्राम चरस की बरामदगी हुई है जो अल्प मात्रा से अधिक है। उपरोक्त मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। अत: उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की याचना की गयी है।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (विशेष) व विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

केस डायरी/अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक दिनेश कुमार द्वारा दिनांक 04.02.2026 को अन्य पुलिस हमराहीगण कानि० मनोज कुमार व कानि० तोशीद आलम के साथ थाना हाजा से वहवाले रपट नं0 25 समय 10.58 बजे रवाना होकर वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था व रोकथाम जुर्म जरायम चैकिंग के दौरान समय लगभग 13.15 बजे चित्रगुप्त डिग्री कालेज

के मैदान के पास अभियुक्त को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार करना और अभियुक्त के पास से जामा तलाशी में 530 ग्राम चरस की बरामदगी होना कहा गया है। बरामद मादक पदार्थ चरस अल्प मात्रा से अधिक होना बताया गया है। बरामद मादक पदार्थ चरस मानव जीवन के लिए हानिकारक है और उससे आये दिन जनहानि के मामले भी सामने आते रहते है। प्राय: यह देखा जाता है कि ऐसे नशीले पदार्थों का उपयोग अन्य व्यक्तियों को खिलाकर बेहोश करते हुये उनके साथ लूटपाट करना अथवा उनके सामान की चोरी की जाती है। उक्त कृत्य से कभी कभी मानव जीवन भी संकटापन्न हो जाता है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में थाना की आख्या आहूत की गयी है जिसमें अभियुक्त का विस्तृत आपराधिक इतिहास दर्शाया गया है तथा संबंधित जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपदों में भी अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना दर्शित किया गया है। अत: अभियुक्त के कब्जे से कथित बरामदगी, उसकी मात्रा, अपराध की गम्भीरता तथा अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त बलराम उर्फ बल्ला की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त बलराम उर्फ बल्ला की ओर से मुकदमा अपराध सं० 73/2026 अन्तर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना कोतवाली में योजित जमानत प्रार्थना पत्र तदनुसार निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांक– 24.03.2026</u>

(अच्छे लाल सरोज)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या 01, मैनपुरी

ACHCHHE LAL SAROJ

Digitally signed by ACHCHHE LAL SAROJ
Date: 2026.03.28 10:43:11 +0530